न्यायालय तहसीलदार, श्री करणपुर

तहसील अधिकारी का नाम – श्री सुभाष चन्द शर्मा, तहसीलदार, श्री करणपुर
प्रकरण संख्या – 02 / 2019
अनवान – सुमित्रा देवी बनाम हरखासआम
किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।
वसीयतकर्त्ता का नाम – बाईया बाई पत्नी रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

– निर्णय :–

दिनांक – 12.02.24

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थिया सुमित्रा देवी उर्फ सीता देवी पत्नी सुखदेव चन्द पुत्री रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ तहसील श्री करणपुर की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की माता बाईया बाई पत्नी रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ ने अपने जीवनकाल में चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 9, 34, 42, 48/9 व 48/12 में कुल 1.779 हैक्टेयर रकबा की एक वसीयत मुझ प्रार्थिया के नाम से की थी। जिसके अनुसार प्रार्थिया नामान्तरण करवाना चाहती है। प्रार्थी द्वारा, वसीयत जो दिनांक 19.11.2007 को लिखवाई गई है, जो नोटेरी से प्रमाणित है, व मृत्यु प्रमाण पत्र जिसके अनुसार मृत्यु दिनांक 10.08.2012 को हुई है, पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता बाईया बाई पत्नी रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ, तहसील श्री करणपुर ने अपने नाम से चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 9, 34, 42, 48/9 व 48/12 में कुल 1.779 हैक्टेयर नहरी भूमि अपनी पुत्री सुमित्रा देवी उर्फ सीता देवी पत्नी सुखदेव चन्द पुत्री रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ तहसील श्री करणपुर के हक में की गई है।

पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 53 जीजी के मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 1,2(0.456 है.), किला नम्बर 3(0.227 है.), किला नम्बर 7 से 10 (1.012 है.) मुरब्बा नम्बर 48/12 (0.076 है.) मय खाला कुल 1.771 हैक्टेयर नहरी भूमि बाईया बाई पत्नी रामदिता जाति कम्बोज के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर सुमित्रा पुत्री रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर के द्वारा काश्त होना बताया गया है। दैनिक डायरी व फर्द मौका के अनुसार मौका काश्त की जांच हेतु पूछताछ की गई तो उपस्थितजनों ने बताया कि उक्त वर्णित भूमि पर सुमित्रा पुत्री रामदिता लगभग 10 वर्ष से काश्त कर रही है। उक्त भूमि खातेदारी है। कोई विवाद स्थगन नहीं है, सीलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, कब्जा वसीयत अनुसार है, रकबा रहन बैय नहीं है।

न्यायालय के पत्रांकभू–अ/2019/243–44 दिनांक 06.02.2019 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 08.02.2019 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद इस वसीयत के सम्बन्ध में दिनांक 20.06.2019 को ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द जाति कम्बोज निवासी वार्ड नम्बर 9 श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

Scanned with OKEN Scanner

जोशी के द्वारा आपत्ति बाबत वसीयत नामान्तरण पेश किया। जिसके अनुसार कथित वसीयत के संबध में बाईया बाई की उम्र 90 वर्ष से अधिक होकर वह अपनी सुद बुद खो चुकी थी। अत्यन्त वृद्धा व्यवस्था के कारण वह देख सुन समझ पाने की क्षमता को खो चुकी थी और रक्तचाप, मधुमेह व अन्य रोगों से ग्रसित होकर पूर्णतया पराश्रित महिला थी। उक्त बाईया बाई द्वारा अपने जीवन में अपनी कृषि भूमि बाबत कोई वसीयत आवेदक अथवा किसी अन्य के पक्ष में नही करवाई गई तथाकथित वसीयत आवेदक द्वारा नजदीकी सम्बन्धियों से साज–बाज होकर बाईया बाई के गुजरने के वर्षों बाद फर्जी तैयार करवाई गई है। ऐसी कूटरचित वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किया गया न्यायसंगत नहीं है। अतः एतराज बाबत वसीयत नामान्तरण बाईया बाई प्रस्तुत कर निवेदन है कि कथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित होने के आधार पर अस्वीकार कर भारी हर्जाना सहित खारिज फरमाई जावे, बाईया बाई की कृषि भूमि के सम्बन्ध में विरासतन नामान्तरण दर्ज किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

वसीयत में दर्ज गवाह बिशनचन्द पुत्र रामदिता, रमेश कुमार पुत्र रामदिता जाति कम्बोज निवासी 13 एफ एफ मानकसर तहसील श्रीकरणपुर ने उपस्थित आकर शपथपत्र पेश किये हैं कि वसीयतकर्त्ता द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया, तथा आपत्तिकर्ता ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर ब्यान दिए गए, कि तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है। वसयीत को खारिज किया जाकर, विरास्तन नामान्तरण दर्ज किया जावे।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान प्रार्थिया अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि वसीयत दिनांक 19.11.2007 के मुताबिक प्रार्थिया के नाम इन्तकाल दर्ज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जाहिर किया कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी व कूटरचित हैं। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर, विरास्तन इन्तकाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार कोई विवाद स्थगन नहीं है व भूमि वसीयतकर्ता के नाम है। वसीयत के गवाहान ने उपस्थित आकर बयान/शपथपत्र पेश किया कि वसीयत उनके समक्ष हुई है व वसीयत सत्य है एवं दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त ओमप्रकाश पुत्र किशनचन्द के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार है। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि वसीयतकर्ता के नाम जमाबन्दी में दर्ज भूमि का यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो एवं रहन हो तो रहन मुक्त होने पर वसीयत के अनुसार प्रार्थिया सुमित्रा देवी पुत्री रामदिता जाति कम्बोज निवासी मानकसर 13 एफ एफ तहसील श्री करणपुर के नाम वसीयत में दर्शाये हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) - श्री करणपुर

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

क्रमांक - 353 दि० - 13.02.24

प्रति श्री प०ह० मानकसर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर

Scanned with OKEN Scanner